

नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मांग संख्या 85
नौवहन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

| मुख्य शीर्ष | बजट 2004-2005 | | | संशोधित 2004-2005 | | | बजट 2005-2006 | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | 157.05 | 333.50 | 490.55 | 133.64 | 387.00 | 520.64 | 155.79 | 432.92 | 588.71 | |
| पूंजी | 310.13 | -19.50 | 290.63 | 166.36 | ... | 166.36 | 379.21 | -4.00 | 375.21 | |
| जोड़ | 467.18 | 314.00 | 781.18 | 300.00 | 387.00 | 687.00 | 535.00 | 428.92 | 963.92 | |
| 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं पत्तन और दीपस्तंभ पत्तन | 3451 | ... | 10.35 | 10.35 | ... | 10.49 | 10.49 | ... | 10.73 | 10.73 |
| 2. तलकर्षण और सर्वेक्षण संस्थान | 3051 | ... | 247.04 | 247.04 | ... | 303.05 | 303.05 | ... | 252.88 | 252.88 |
| 3. लघु पत्तनों का विकास | 5051 | 35.00 | ... | 35.00 | 17.51 | ... | 17.51 | 35.00 | ... | 35.00 |
| | 3601 | 5.00 | ... | 5.00 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 |
| जोड़ | | 40.00 | ... | 40.00 | 18.01 | ... | 18.01 | 35.50 | ... | 35.50 |
| 4. अन्य व्यय | 3051 | 6.06 | 12.50 | 18.56 | 4.09 | 12.53 | 16.62 | 4.74 | 13.94 | 18.68 |
| जोड़ - पत्तन | | 46.06 | 259.54 | 305.60 | 22.10 | 315.58 | 337.68 | 40.24 | 266.82 | 307.06 |
| दीपस्तंभ | | | | | | | | | | |
| 5. निर्देशन और प्रशासन | 3051 | ... | 8.72 | 8.72 | ... | 9.00 | 9.00 | ... | 9.28 | 9.28 |
| 6. दीपस्तंभ और दीप पोत | | | | | | | | | | |
| 6.01 सकल कार्यचालन व्यय | 3051 | ... | 71.28 | 71.28 | ... | 71.00 | 71.00 | ... | 72.72 | 72.72 |
| 6.02 घटाइए प्राप्ति | 1051 | ... | -80.00 | -80.00 | ... | -80.00 | -80.00 | ... | -82.00 | -82.00 |
| 6.03 निवल | | ... | -8.72 | -8.72 | ... | -9.00 | -9.00 | ... | -9.28 | -9.28 |
| 7. दीपस्तंभ और नौचालन संबंधी अन्य सहायक साधनों का निर्माण और विकास | 5051 | 25.00 | -25.00 | ... | 17.50 | -17.50 | ... | 30.50 | -30.50 | ... |
| जोड़-दीपस्तंभ | | 25.00 | -25.00 | ... | 17.50 | -17.50 | ... | 30.50 | -30.50 | ... |
| जोड़-पत्तन और दीपस्तंभ | | 71.06 | 234.54 | 305.60 | 39.60 | 298.08 | 337.68 | 70.74 | 236.32 | 307.06 |
| नौवहन | | | | | | | | | | |
| 8. महानिदेशक नौवहन | 3052 | ... | 32.00 | 32.00 | ... | 32.35 | 32.35 | ... | 32.37 | 32.37 |
| 9. पोत अधिग्रहण के लिए उधारों पर ब्याज विभेदक | 3052 | ... | 2.10 | 2.10 | ... | 0.13 | 0.13 | ... | ... | ... |
| 10. भारतीय नौवहन निगम को आर्थिक सहायता | 3052 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11. अन्य व्यय | | | | | | | | | | |
| 11.01 भारतीय सामुद्रिकी विश्वविद्यालय का विकास | 5052 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 |
| 11.02 सर्वेक्षण पोतों की खरीद | 5052 | 100.00 | ... | 100.00 | 33.84 | ... | 33.84 | 50.00 | ... | 50.00 |
| 11.03 सूचना प्रौद्योगिकी का विकास | 5052 | 5.00 | ... | 5.00 | 2.38 | ... | 2.38 | 2.20 | ... | 2.20 |
| जोड़ | | 105.00 | ... | 105.00 | 36.22 | ... | 36.22 | 53.20 | ... | 53.20 |
| पोत निर्माण | | | | | | | | | | |
| 12. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को योजना भिन्न-ऋण | | | | | | | | | | |
| 12.01 हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. | 6858 | ... | 5.50 | 5.50 | ... | 5.50 | 5.50 | ... | 8.50 | 8.50 |
| 13. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन | | | | | | | | | | |
| 13.01 सीआईडब्ल्यूटीसी | 3056 | 7.07 | ... | 7.07 | 7.07 | ... | 7.07 | ... | ... | ... |
| 14. अन्य आर्थिक सहायता | | | | | | | | | | |
| 14.01 कोचीन शिपयार्ड लि. | 2852 | ... | 15.00 | 15.00 | ... | 15.00 | 15.00 | ... | 45.00 | 45.00 |
| 14.02 एच एस एल | 2852 | ... | 1.34 | 1.34 | ... | 1.18 | 1.18 | ... | 42.54 | 42.54 |
| 14.03 गैर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्ड | 2852 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 24.00 | 24.00 |
| जोड़ | | ... | 17.34 | 17.34 | ... | 17.18 | 17.18 | ... | 111.54 | 111.54 |
| 15. अन्य व्यय | 2852 | 0.94 | ... | 0.94 | 0.94 | ... | 0.94 | 0.55 | ... | 0.55 |
| जोड़ नौवहन | | 113.01 | 57.94 | 170.95 | 44.23 | 55.16 | 99.39 | 53.75 | 152.41 | 206.16 |
| 16. सागरमाला के अधीन परियोजनाएं | 3075 | 24.48 | ... | 24.48 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| 17. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | 5075 | 19.52 | ... | 19.52 | 59.52 | ... | 59.52 | 112.00 | ... | 112.00 |
| 18. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश | 4858 | 8.30 | ... | 8.30 | 8.30 | ... | 8.30 | 8.25 | ... | 8.25 |
| | 6858 | 8.31 | ... | 8.31 | 8.31 | ... | 8.31 | 62.26 | ... | 62.26 |
| | 7051 | 84.00 | ... | 84.00 | 14.00 | ... | 14.00 | 78.00 | ... | 78.00 |
| जोड़ | | 100.61 | ... | 100.61 | 30.61 | ... | 30.61 | 148.51 | ... | 148.51 |
| अंतर्देशीय जल परिवहन | | | | | | | | | | |
| 19. प्रशिक्षण और अनुसंधान | 3056 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 2.00 | ... | 2.00 |

सं. 85/नौवहन विभाग

(करोड़ रुपए)

| मुख्य शीर्ष | बजट 2004-2005 | | | संशोधित 2004-2005 | | | बजट 2005-2006 | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| 20. जल परिवहन सेवाओं का विकास - भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को अनुदान | 3056 | 55.00 | 7.92 | 62.92 | 47.53 | 7.92 | 55.45 | 74.00 | 8.71 | 82.71 |
| 21. सी आई डब्ल्यू टी सी को आयोजना-भिन्न ऋण | 7056 | ... | ... | ... | ... | 12.00 | 12.00 | ... | 18.00 | 18.00 |
| 22. अन्य कार्यक्रम | 3056 | 10.00 | 0.75 | 10.75 | 10.00 | 1.35 | 11.35 | 5.00 | 0.75 | 5.75 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 20.00 | ... | 20.00 | 15.00 | ... | 15.00 |
| | 7601 | 20.00 | ... | 20.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | जोड़ | 30.00 | 0.75 | 30.75 | 30.00 | 1.35 | 31.35 | 20.00 | 0.75 | 20.75 |
| जोड़ अंतर्देशीय जल परिवहन अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग | | 86.00 | 8.67 | 94.67 | 78.53 | 21.27 | 99.80 | 96.00 | 27.46 | 123.46 |
| 23. बंगला देश को सहायता | 3605 | ... | 2.50 | 2.50 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 |
| 24. सरकारी उपक्रमों में निवेश | 5056 | 2.50 | ... | 2.50 | 2.50 | ... | 2.50 | ... | ... | ... |
| | 7056 | 2.50 | ... | 2.50 | 2.50 | ... | 2.50 | ... | ... | ... |
| | जोड़ | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | ... | ... | ... |
| 25. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजना/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान | 2552 | 47.50 | ... | 47.50 | 42.50 | ... | 42.50 | 54.00 | ... | 54.00 |
| कुल जोड़ | | 467.18 | 314.00 | 781.18 | 300.00 | 387.00 | 687.00 | 535.00 | 428.92 | 963.92 |
| ख. सरकारी उद्यमों में निवेश | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ |
| पत्तन | | | | | | | | | | |
| 18.01 कोलकाता पत्तन न्यास | 13051 | ... | 36.70 | 36.70 | ... | 23.25 | 23.25 | ... | 48.04 | 48.04 |
| 18.02 कोचीन पत्तन न्यास | 13051 | 33.00 | 52.41 | 85.41 | 3.00 | 12.49 | 15.49 | 28.00 | 25.12 | 53.12 |
| 18.03 पारादीप पत्तन | 13051 | 50.00 | 37.16 | 87.16 | 10.00 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 66.00 | 116.00 |
| 18.04 तूतीकोरीन पत्तन | 13051 | ... | 25.81 | 25.81 | ... | 14.27 | 14.27 | ... | 43.67 | 43.67 |
| 18.05 जवाहर लाल नेहरू पत्तन | 13051 | 1.00 | 101.14 | 102.14 | 1.00 | 102.17 | 103.17 | ... | 96.84 | 96.84 |
| 18.06 नया मंगलौर पत्तन | 13051 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 26.00 | 26.00 |
| 18.07 चेन्नई पत्तन न्यास | 13051 | ... | 16.75 | 16.75 | ... | 24.16 | 24.16 | ... | 46.71 | 46.71 |
| 18.08 मुम्बई पत्तन न्यास | 13051 | ... | 56.15 | 56.15 | ... | 43.65 | 43.65 | ... | 74.53 | 74.53 |
| 18.09 कांडला पत्तन न्यास | 13051 | ... | 92.98 | 92.98 | ... | 50.43 | 50.43 | ... | 93.30 | 93.30 |
| 18.10 मारमागोवा पत्तन | 13051 | ... | 53.85 | 53.85 | ... | 11.45 | 11.45 | ... | 33.50 | 33.50 |
| 18.11 विशाखापत्तन पत्तन | 13051 | ... | 54.44 | 54.44 | ... | 31.37 | 31.37 | ... | 27.00 | 27.00 |
| 18.12 एन्नोर पत्तन | 13051 | ... | 95.00 | 95.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 76.00 | 76.00 |
| जोड़ - पत्तन | | 84.00 | 642.39 | 726.39 | 14.00 | 373.24 | 387.24 | 78.00 | 656.71 | 734.71 |
| 18.13 भारतीय तलकषण निगम | 13051 | ... | 150.50 | 150.50 | ... | 39.00 | 39.00 | ... | 219.50 | 219.50 |
| 18.14 सेतुसमुद्रम शिप सेन्ट्रल प्रोजेक्ट पोत निर्माण | 13075 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.00 | 7.00 |
| 18.15 हिन्दुस्तान शिपयार्ड | 12858 | 15.00 | ... | 15.00 | 15.00 | ... | 15.00 | 69.00 | ... | 69.00 |
| 18.15 कोचीन शिपयार्ड | 12858 | ... | 88.52 | 88.52 | ... | 22.30 | 22.30 | 0.01 | 85.00 | 85.01 |
| 18.16 हुगली डाक और पत्तन इंजीनियरिंग कं. लि. | 12858 | 1.61 | ... | 1.61 | 1.61 | ... | 1.61 | 1.50 | ... | 1.50 |
| जोड़ - जहाज निर्माण नौवहन | | 16.61 | 88.52 | 105.13 | 16.61 | 22.30 | 38.91 | 70.51 | 85.00 | 155.51 |
| 24.01 भारतीय नौवहन निगम | 13052 | ... | 1063.25 | 1063.25 | ... | 659.25 | 659.25 | ... | 1293.15 | 1293.15 |
| 24.02 सी आई डब्ल्यू टी सी | 13056 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | ... | ... | ... |
| जोड़ - सरकारी उद्यमों में कुल निवेश | | 105.61 | 1944.66 | 2050.27 | 35.61 | 1093.79 | 1129.40 | 148.51 | 2261.36 | 2409.87 |
| ग. आयोजना परिव्यय * | | | | | | | | | | |
| 1. इंजीनियरी उद्योग | 12858 | 24.62 | 88.52 | 113.14 | 24.62 | 22.30 | 46.92 | 71.06 | 85.00 | 156.06 |
| 2. पत्तन और दीपस्तंभ | 13051 | 155.06 | 792.89 | 947.95 | 53.60 | 412.24 | 465.84 | 148.74 | 876.21 | 1024.95 |
| 3. नौवहन | 13052 | 132.34 | 1063.25 | 1195.59 | 102.94 | 659.25 | 762.19 | 170.20 | 1293.15 | 1463.35 |
| 4. अंतर्देशीय जल परिवहन | 13056 | 91.00 | ... | 91.00 | 83.53 | ... | 83.53 | 96.00 | ... | 96.00 |
| 5. अन्य परिवहन सेवाएं | 13075 | 24.48 | ... | 24.48 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | 7.00 | 7.00 |
| 6. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | 47.50 | ... | 47.50 | 42.50 | ... | 42.50 | 54.00 | ... | 54.00 |
| जोड़ | | 475.00 | 1944.66 | 2419.66 | 307.20 | 1093.79 | 1400.99 | 540.00 | 2261.36 | 2801.36 |
| * शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में उपलब्ध कराए गए निर्माण कार्य परिव्यय को मिलाकर। मांग संख्या 101 | 13052 | 7.82 | ... | 7.82 | 7.20 | ... | 7.20 | 5.00 | ... | 5.00 |

1. यह प्रावधान नौवहन मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।
 2. इस व्यवस्था में कलकत्ता पत्तन न्यास को हुगली नदी और हल्दिया जलमार्ग के तलकषण और अनुसंधान के लिए अदायगी और लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन का स्थापना संबंधी व्यय शामिल है।
 3. यह व्यवस्था अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों में अवतरण सुविधाओं और जेटियों के निर्माण, लक्षद्वीप द्वीपसमूह में नौ चालन सुविधाओं,

अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्यों हेतु स्थापना प्रभार तथा लघु पत्तनों के विकास हेतु अध्ययन करने के लिए है।

4. यह आयोजना व्यवस्था अनुसंधान और विकास संबंधी योजनाओं के व्यय के लिए है। यह आयोजना-भिन्न व्यवस्था अंडमान और लक्षद्वीप बन्दरगाह संबंधी निर्माण कार्यों आदि के स्थापना प्रभारों के लिए है।

सं. 85/नौवहन विभाग

5, 6 और 7. दीपस्तम्भ और दीपपोत संगठन सरकार का एक वाणिज्यिक विभाग है, जो नौचालन संबंधी सहायक-साधनों की व्यवस्था करता है, जिनमें बोयास, डेका नेवीगेटर चैन, रेडियो बीकन आदि शामिल हैं। यह संगठन पोतों के दिशानिर्देश के लिए दीपस्तम्भों का निर्माण और रख-रखाव भी करता है। यह आयोजना व्यवस्था दीप स्तंभों के निर्माण और विकास पर होने वाले पूंजी व्यय तथा अन्य नौचालन संबंधी सहायक-साधनों के लिए है और इसे भारतीय दीपस्तम्भ अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार एकत्रित प्रकाश प्राप्ति को पूरा किया जाता है।

8. यह व्यवस्था नौवहन महानिदेशालय की स्थापना के लिए है, जो वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह वाणिज्यिक नौवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियमन संबंधी कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्याण की देख-रेख के अलावा मर्चेन्ट नेवी के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

11. यह व्यवस्था सर्वेक्षण जहाजों की खरीद, और प्रौद्योगिकी के विकास और भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विकास के लिए है।

12. यह व्यवस्था एच.डी.पी.ई. लि. को आयोजना-भिन्न अर्थोपाय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए है ताकि कंपनी अपने संसाधनों में अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सके।

14. यह प्रावधान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गैर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शिपर्याड्स और निजी क्षेत्र के शिपर्याड्स को आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु किया गया है।

15. यह व्यवस्था पोत निर्माण हेतु अनुसंधान और विकास योजनाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने, अध्ययन निष्पादित करने, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की बहाली हेतु है।

17. यह व्यवस्था कोलकाता पत्तन न्यास सेतुसमुद्रम शिप केनाल परियोजना के नदी विनियामक निर्माण कार्यों के लिए और बड़े पत्तनों हेतु एक समान तथा वैव आधारित सामुदायिक साझेदारी संदेश के आदान-प्रदान का कार्यान्वयन करने हेतु है।

18. इस व्यवस्था में मुख्य पत्तन न्यासों, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली गोदी के आयोजना व्यय के लिए बजट समर्थन शामिल है। पत्तन न्यासों को आयोजना-सहायता मुख्यतः पत्तनों में आधारभूत

ढांचे के विकास के लिए है ताकि ये पत्तन वहां आने वाले पोतों की किस्म और वहां उनके द्वारा लादे/ढोए जाने वाले माल की मात्रा और किस्म के अनुरूप बन सके और पत्तनों पर वर्तमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए भी यह सहायता दी जाती है। वर्तमान सुविधाओं का नवीकरण/बदलने और उनमें वृद्धि करने पर उनका उपयोग करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. और कोचीन शिपयार्ड लि., हुगली गोदी को ऋण सहायता दी जाती है।

19. यह व्यवस्था विकास और अनुसंधान तथा विकास समेत तकनीकी अध्ययनों के लिए है।

20. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनियमन तथा देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण को दी जा रही अनुदान सहायता का उद्देश्य नदी संरक्षण कार्य, टर्मिनल का निर्माण, राष्ट्रीय जलमार्ग के नौचालन संबंधी सहायक साधनों और भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक स्वर्चों के संबंध में व्यय की पूर्ति करना है। प्राधिकरण को आयोजना-भिन्न अनुदान सहायता का उद्देश्य इसकी स्थापना लागत को पूरा करना है।

21. यह व्यवस्था केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड को आयोजना-भिन्न अर्थोपाय ऋण के लिए है।

22. यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु आदि राज्य सरकारों की केन्द्र प्रायोजित चालू स्कीमों के लिए की गई है, जिन्हें राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें उनके द्वारा ऋण ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन उद्यमियों को कम ब्याज दर पर दिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज विभेदक के लिए वित्तीय संस्थाओं को भुगतान के लिए भी व्यवस्था शामिल है। इस व्यवस्था में केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को नदी संरक्षण हेतु बजटीय सहायता देना भी शामिल है।

23. यह व्यवस्था बंगलादेश सरकार के साथ पारगमन और व्यापार करार के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

25. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।